<u>BA (Hons.) PART –II, Paper- III</u>

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

<u>भारत में चुनाव पद्वति की विशेषताएँ, चुनाव के प्रकार</u>

<u>Characteristics of Election Method in India,Types of Election</u>

<u>भारत में चुनाव पद्वति की विशेषताएँ</u> – लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल एवं सुचारू संचालन में चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324–329 तक में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत में चुनाव पद्वति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, जो इस प्रकार है :–

1. **<u>व्यस्क मताधिकार</u>** – भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक है। पहले मताधिकार के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष निर्धारित थी लेकिन 61 वें संवैधानिक संशोधन, 1989 में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।
2. **<u>आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्वति</u>** – ब्रिटिश शासन काल में भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन की पद्वति को अपनाया गया था जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों को साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जिसके कारण विभिन्न सम्प्रदाय के बीच आपस में कटुता की भावना आने लगी और आपस में एक–दूसरे के विरोधी होने लगे। जिसके कारण नवीन संविधान में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन की पद्वति को अपनाया गया। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं

अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यस्था की गयी है, अतएव उनके लिए अलग–अलग सीट आरक्षित किए गये हैं। भारत के मूल संविधान में 1960 तक के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी लेकिन समय–समय पर विभिन्न संशोधनों के माध्यम से इस व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वर्त्तमान समय में भी आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है। आरक्षण की व्यवस्था होने के कारण आरक्षित सीट पर केवल आरक्षित जाति के व्यक्ति ही उम्मीदवार हो सकते हैं लेकिन मताधिकार का प्रयोग सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है।

3. **प्रादेशिक प्रतिनिधित्व** – भारत में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्वति को अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं।
4. **गुप्त मतदान की पद्वति** – भारत में चुनावों में गुप्त मतदान की पद्वति को अपनाया गया है। जिसके अन्तर्गत लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद्, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं स्थानीय निकाय के चुनावों में गुप्त मतदान की पद्वति को अपनाया गया है।
5. **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्वति** – भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों निर्वाचन की पद्वति को अपनाया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्वति के आधार पर होता है, जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्वति के माध्यम से होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
6. **साधारण बहुमत की पद्वति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्वति** – भारत में दोनों पद्वति को अपनाया गया है। भारत में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव साधारण बहुमत पद्वति के आधार पर होता है लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानपरिषद् का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्वति के आधार पर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव भी साधारण बहुमत पद्वति के आधार पर ही होता है।
7. **बहुदलीय एवं आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व** – भारत में बहुदलीय चुनाव की पद्वति को अपनाया गया है। जिसके कारण चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं, जिससे आम जनता खुले विचार, निष्पक्ष एवं स्वविवेक से अपने

प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है। इसके अलावे भारत का कोई भी नागरिक जो संबंधित पद की योग्यताओं को पूरा करता हो, चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है।

<u>चुनाव के प्रकार (Types of Election)</u> –

1. **<u>आम चुनाव</u>** – संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्षो की निर्धारित अवधि के पश्चात् होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है।
2. **<u>मध्यावधि चुनाव</u>** – संसद एवं राज्य विधानसभाओं के भंग होने के फलस्वरूप निर्धारित अवधि के पूर्व होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है।
3. **<u>उपचुनाव</u>** – किसी भी संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र अथवा अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराए गये चुनाव को उपचुनाव कहते हैं।
4. **<u>स्नैप पोल</u>** – संसद या राज्य विधानसभा को अचानक भंग करके कराए गए चुनावों को स्नैप पोल कहते है।